



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2018/फाल्गुन 8, 1939

No. 724]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018/PHALGUNA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

का. आ . 821 (अ).— जहां तक केंद्र सरकार निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या संश्लेषित) या प्राकृतिक सामाग्री या ऐसे पदार्थ से बनाए गए लवण या उत्पाद की प्रकृति और उसके प्रभाव तथा इसके दुरुपयोग के बारे में तथा स्वापक पदार्थों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र कन्वेन्शन, 1971 में किए गए संशोधन और परिवर्तन के बारे में उपलब्ध कराई गयी सूचना और साक्ष्यों के आधार पर इस बात से संतुष्ट है और यह आवश्यक समझती है कि निम्नलिखित पदार्थों, या प्राकृतिक सामग्री, या उसके लवण या उसके उत्पादों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (इसके पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में जोड़ा जाना जरूरी है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये केंद्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वापक पदार्थों की सूची में और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम संख्या 110 O और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-प्रोप्राइटरी नाम	अन्य गैर-प्रोप्राइटरी नाम	रासायनिक नाम
“110P	4-मेथाइलइथैथिनोन	4-MEC	-
110Q	एथीलोन		-

110R	पेंटेड्रोन	--	-
110S	इथाइलफेनीडेट	-	-
110T	मेथिओप्रोपामाइन	MPA	-
110U	MDMB-CHMICA	-	-
110V	5F-APINACA	5F-AKB-48	-
110W	XLR-11	-	-
110X	-	कैथा ईडुलिस (ड्राई खत या मीरा लीब्स ड्राई खत ईडुलिस)	-

[फा० सं०. एन-12019/3/2016-एन सी. II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

नोट: स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची में प्रथम बार का.आ. 785 (अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के द्वारा और उसके बाद का.आ. 49 (अ) दिनांक 8 जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ) दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2004, का.आ. 311 (अ) दिनांक 10 फरवरी, 2011, का.आ. 376 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, का. सं० 2374(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016 और का.आ. सं० 1383 (अ), दिनांक 2 मई 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2018

S. O. 821 (E).— Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of and the scope for abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances 1971, and that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely: -

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110 O and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

SI. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
“110P	4-Methylethcathinone	4-MEC	-
110Q	Ethyalone		-
110R	Pentedrone		-
110S	Ethylphenidate		-

110T	Methiopropamine	MPA	-
110U	MDMB-CHMICA		-
110V	5F-APINACA	5F-AKB-48	-
110W	XLR-11		-
110X	-	Catha Edulis (Dry Chatt or Mira Leaves Dry Chat Edulis)	-".

[F. No. N-12019/3/2016-NC. II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

Note:—The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended *vide* number S.O. 785(E) dated 26th October, 1992 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S. O. 311 (E), dated the 10th February, 2011, S. O. 376 (E), dated the 5th February, 2015, S. O. No. 2374 (E), dated the 12th July, 2016 and S.O. No. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

का.आ. 822 (अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के उपखंड (viiक) और (xxiiiक) के तहत प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना जिसे का.आ. 1055 (अ), दिनाक 19 अक्टूबर, 2001, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग, II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में, क्रम सं. 238V और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और उनसे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

क्र.सं.	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर-प्रोपराइटरी नाम)	अन्य गैर-प्रोपराइटरी का नाम	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम में)
1	2	3	4	5	6
"238W.	-	U-47700	3,4-डाइक्लोरो-N-(2-डाइमेथाइलअमीनो-साइक्लोहेक्साइल)- N-मेथाइल-बैंजामाइड	1 ग्राम;	50 ग्राम;
238X.	-	ब्यूटाइरफेटानाइल	N-फेनाइल-N-[1-(2-फेनाइलइथाइल)-4-पिपरीडिनाइल] ब्यूटानामाइड	0.05 ग्राम	2.5 ग्राम;
238 Y.	4-मेथाइल एथैक्यनोन	4-MEC	-	0.5 ग्राम	25 ग्राम;
238 Z.	एथीलोन		-	20 ग्राम	1000 ग्राम;

238 ZA	पेटेंड्रोन	--	-	1 ग्राम	50 ग्राम;
238 ZB	इथाइलफेनीडेट	-	-	0.2 ग्राम	10 ग्राम;
238 ZC	मेथिओ प्रोपामाइन	MPA	-	0.5 ग्राम	25 ग्राम;
238 ZD	MDMB-CHMICA	-	-	0.01 ग्राम	0.5 ग्राम;
238 ZE	5F-APINACA	5F-AKB-48	-	0.05 ग्राम	2.5 ग्राम;
238 ZF	XLR-11	-	-	1 ग्राम	50 ग्राम;
238 ZG	-	कैथेआ ईडुलिस (ड्राई खत या मीरा लीब्स ड्राई खत ईडुलिस)	-	5500 ग्राम	275 Kg".

[फा.सं. एन-12019/3/2016-एनसी-II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

नोट:— प्रधान अधिसूचना को का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग, II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 2941 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2009, का.आ. 1430 (अ), दिनांक 21 जून, 2011, का.आ. 375 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, का.आ. 2375(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016 और का.आ. 384 (अ), दिनांक 2 मई, 2017 के तहत संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2018

S. O. 822 (E).— In exercise of the powers conferred by clauses (viiia) and (xxiiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely: -

In the said notification, in the Table, after serial number 238 V and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

Sl No.	Name of Narcotic Drug and Psycho-tropic Substance (International non-proprietary name (INN))	Other non-proprietary name	Chemical Name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./ kg.)
1	2	3	4	5	6
“238W.	-	U-47700	3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)- N-methyl-benzamide	1 gm	50 gm;
238 X.	-	Butyrfentanyl	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide	0.05 gm	2.5 gm;

238 Y.	4-Methylethcathinone	4-MEC	-	0.5 gm	25 gm;
238 Z.	Ethyline		-	20 gm	1000 gm;
238 ZA	Pentedrone		-	1 gm	50 gm;
238 ZB	Ethylphenidate		-	0.2 gm	10 gm;
238 ZC	Methiopropamine	MPA	-	0.5 gm	25 gm;
238 ZD	MDMB-CHMICA		-	0.01 gm	0.5 gm;
238 ZE	5F-APINACA	5F-AKB-48	-	0.05 gm	2.5 gm;
238 ZF	XLR-11		-	1 gm	50 gm;
238 ZG	-	Catha Edulis (Dry Chatt or Mira Leaves Dry Chat Edulis)	-	5500 gm	275 Kg".

[F. No. N-12019/3/2016-NC. II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E) dated the 19th October, 2001 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2941 (E), dated the 18th November, 2009, S.O. 1430 (E), dated the 21st June, 2011, S.O. 375 (E) dated the 5th February, 2015, S. O. 2375(E), dated the 12th July, 2016 and S.O. 384 (E), dated the 2nd May, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

का.आ. 823 (अ).— स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (xi) के उप-खण्ड (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित पदार्थों, लवणों और उनके उत्पादों को निर्मित औषधि के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :-

- (i) U-47700: 3,4-डाईक्लोरो -N-(2-डाईमेथाइलअमीनो-साइक्लोहेक्साइल)- N-मेथाइल-बेंजामाइड;
- (ii) ब्यूटायरफेटानाइल : N-फेनाइल -N-[1-(2-फेनाइलइथाइल)-4- पिपरिडिनाइल] ब्यूटानामाइड.

[फा.सं. एन-12019/3/2016-एनसी-II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2018

S. O. 823 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substances, salts and preparations thereof to be manufactured drugs, namely: -

- (i) U-47700: 3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)- N-methyl-benzamide;
- (ii) Butyrfentanyl : N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4- piperidinyl]butanamide.

[F. No. N-12019/3/2016-NC. II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secretary